N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0084 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 04/04/2025 20:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 28/03/2025 **Date To (दिनांक तक):** 02/04/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 14:50 बजे **Time To (समय तक):** 19:50 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 04/04/2025 **Time (समय):** 19:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 003 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 04/04/2025 20:56:20 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 260 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** RAMDHAM MANDIR KE SAMANE HANUMAN BASTI ROAD,NALE KE PASS, DADABARI KOTA

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ABDUL NAIEM

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** ABDUL LATIF

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1976 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	81, DADABARI, DADABARI, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	81, DADABARI, DADABARI, KOTA CITY, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BANVEER ACHARYA		पिता:RADHAKISHAN ACHARYA	1. RAJPUTO KA MOHALLA,GRAM DHANDHOLI,DUDU,JAIPUR RURAL,RAJASTHAN,INDIA
2	MANISH KUMAR JANGID		पिता:MAHIPAL	1. GHARDANA KHURD,SINGHANA,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 28.03.2025 को समय 2.50 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल नईम खान पुत्र अब्दुल लतीफ उम्र 49 साल निवासी- मकान नं. 81, दादाबाडी, कोटा ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि.ब्यूरो, कोटा में उपस्थित होकर अति. पुलिस अधीक्षक को एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी दादाबाडी जिला कोटा का रहने वाला है तथा कबाड का व्यवसाय करता हैं, थाना दादाबाडी के कानि. बनवीर आचार्य एवं मनीष जांगीड आये दिन मेरी दुकान पर आते हैं तथा मुझ पर अनावश्क दबाव बनाकर कबाड का कार्य सुचारू रूप सें चलने देने की एवज में सी.आई. दादाबाडी एवं स्वयं के लिए रिश्वत की मांग करते हैं, अभी कुछ दिन पहले मेरे पडौसी अल्फेज में मेरे बच्चों इशान एवं फरान का झगडा हो गया था, जिस पर पुलिस ने उनका चालान कर दिया तथा वो वर्तमान में जमानत पर आजाद हैं इस घटना के प्रकरण में मदद करने के नाम सें इन्होने मुझ पर दबाव डालकर अभी तीन-चार दिन पहले मनीष जांगीड ने मुझसे 3000 रू. सी.आई. साहब का नाम लेकर लिये थे। दिनांक 27.03.2025 की रात्री को सब-कदर होने मे मेरे बच्चे उनकी नानी के यंहा जा रहे थे तो अल्फेज ने उनको जाते हुए को देख लिया तथा उनका पीछा कर कार सें मेरे बच्चों की मोटर साईकिल को टक्कर मार दी तथा थाना दादाबाडी में आकर उनके विरूद्ध शिकायत कर दी की मेरे बच्चों ने अल्फेज की कार को मोटर सार्इकिल से टक्कर मार दी तथा उसको जान से मारने की नियत से हमला कर दिया। मेरे बच्चों के द्वारा मुझे बताने पर मैने भी थाने में जाकर अल्फेज के विरूद्ध शिकायत कर दी, इसके बाद मेरे पास बनवीर आचार्य ने सूचना भिजवाई की तुमने हमारी बात नहीं मानी तथा अब अल्फेज ने तुम्हारी बच्चो के विरूद्ध 109(1) व अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवा दिया हैं, अगर तुम्हारे बच्चों को बचाना चाहते हो तो 30,000 रू. लेकर थाने पर आकर मुझसे मिलना। इस घटना में मेरे बच्चों की कोई गलती नहीं हैं फिर भी बनवीर आचार्य एवं मनीष जांगीड थाना दादाबाडी मुझ पर दबाव डालकर मुझसे रिश्वत लेना चाहते हैं मैं बनवीर आचार्य एवं मनीष जांगीड को रिश्वत नहीं देना चाहता। मेरा बनवीर आचार्य एवं मनीष जांगीड से कोई पुराना लेनदेन बकाया नहीं हैं ना ही कोई आपसी रंजिश है। कृपया कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं कथनो से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से श्री अब्दुल नईम खान के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु श्रीमती चन्द्रकवंर पुलिस निरीक्षक, इन्टे कोटा को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को श्रीमती चन्द्र कवंर को सुपुर्द कर परिवादी के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। समय 3.10 पी.एम. पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्रीमती चन्द्रकंवर पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री अब्दुल नईम खान को साथ लेकर स्वयं के कक्ष मे ले जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र व मजीद दरयाप्त से मामला रिश्वत मांग का होने एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की परिधी में आना पाया जाने से रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाया जाना आवयश्क होने सें कार्यालय में कार्यरत श्री रवि, कानि नं. 285 को श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर परिवादी से आपसी परिचय करवाया गया तथा कार्यालय के मालखाने से डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के निकलवाया गया तथा परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने व रिकॉर्ड करने की विधि समझाई तथा परिवादी के हमराह जाकर गोपनीय सत्यापन की निगरानी करने के निर्देश दिये। परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर पृथक सें बनाकर उस पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। श्री रवि.कानि.285 को परिवादी के हमराह रवाना किया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से श्री आशिक हुसैन सउनि को पत्र क्रमांक 681 दिनांक 28.03.2025 देकर स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

कोटा रवाना किया गया। श्री आशिक हुसैन सउनि पत्र क्रमांक 681 दिनांक 28.03.2025 देकर स्वतंत्र गवाह पाबन्द करवाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा रवानाशुदा पत्र देकर वापस आया व बताया कि सीएम एण्ड एचओ कोटा ऑफिस में पत्र प्राप्त कर मौजूद अधिकारी ने बताया है कि आवश्यकता होने पर टेलीफोनिक सूचना पर गवाह उपलब्ध करवा दिये जावेंगे। समय 6.25 पी.एम. पर रवि कानि. 285 ने कार्यालय में उपस्थित होकर श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि परिवादी उसकी मोटरईसाईकिल सें एवं मैं स्वंय की मोटर साईकिल सें कार्यालय सें रवाना होकर थाना दादाबाडी के सामने पहुंचे वंहा पर काफी भीडभाड हो रही थी कुछ समय इन्तजार करने के बाद परिवादी थाने के अन्दर गया तथा कुछ समय बाद वापस आकर मुझे बताया कि अभी थाने पर अल्फेज के घर वाले इकट्ठे हो रखे हैं तथ बनवीर कानि. ने मुझसें बात करने के लिए बाद में आने के लिए कहा हैं तथा मैने मनीष जांगीड के लिए पूछा तो उसने बताया कि वह अभी घर पर गया हुआ हैं, आज बनवीर मुझसें बात नहीं करेगा तथा बनवीर सें आईन्दा जब भी बात करनी होगी मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। इस पर मैं परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर तथा परिवादी को वंही सें उसके घर के लिए रवाना कर कार्यालय हाजा आया हूं। आईन्दा जब भी परिवादी का फोन आयेगा मैं आपको सुचित कर दूंगा। फर्द प्राप्ती डीवीआर मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 30.03.2025 समय 8.00 पी.एम. पर परिवादी ने रवि कानि. को जरिये मोबाईल बताया कि अभी बनवीर कानि. ने मुझे बुलाया है, आप मेरे घर पर आ जाओ इस पर श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक ने श्री रवि कानि. को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी से मिलकर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाये जाने के निर्देश देकर रवाना किया। जिसकी फर्द सुपुर्दगी बनाई गई। समय 10.10 पी.एम. पर रवि कानि. ने श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं यंहा से रवाना होकर परिवादी श्री अब्दुल नईम खान के घर पर गया तथा उनको डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द किया इसके बाद परिवादी ने बनवीर सें उसके मोबाईल पर वार्ता की तथा बताया कि बनवीर ने नसियां जी मन्दिर की गली में मिलने के लिए बुलाया हैं। इस पर परिवादी अपनी मोटरसाईकिल से तथा मैं अपनी मोटरसाईकिल से रवाना होकर नसिंया जी की गली में गये तो परिवादी ने एक व्यक्ति के पास जाकर मोटरसाईकिल साईड में खडी की तथा उस व्यक्ति के साथ चलते हुए बात करते हुए पास ही स्थित गार्डन में अन्दर जाकर बात करने लगे करीबन 40-45 मिनट बाद परिवादी वंहा सें रवाना होकर बाहर आया अपनी मोटरसाईकिल लेकर रवाना हुआ मैं भी उसके पीछे-पीछे अपनी मोटरसाईकिल से रवाना हुआ परिवादी ने अपने घर पर आकर मुझे रिकॉर्डर बन्द करके सुपुर्द किया तथा बताया कि बनवीर कानि. से मेरी रिश्वत मांग के संबंध में वार्ता हो गई हैं उसने कहा हैं कि तुम्हारे बच्चों को थाने पर लाना पडेगा तथा मैं उनके पट्टे नहीं मारूंगा तथा सी.आई. साहब से भी बात कर लूंगा लेकिन सी.आई. साहब, मनीष एवं मेरे लिए 30000 रू. देने पडेंगे इस पर मैने उनसे रिक्वेस्ट की तो 20,000 रू. लेने के लिए तैयार हो गया हैं मैने बनवीर मे ईद के बाद पैसे देने के लिए कहा है, मेरी इस बारे में जो भी बात हुई हैं वो इस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड कर ली हैं। इसके बाद मैं रात्री हो जाने के कारण परिवादी को उसके आवास पर ही छोडकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को लेकर कार्यालय हाजा आया हूं। इस पर रिकॉर्डर को लेपटोप से कनेक्ट कर सुना गया तो श्री रवि कानि. 285 को परिवादी द्वारा कहे गये कथनो की ताईद हुई हैं, परिवादी ने बनवीर कानि. से ईद के बाद मिलने के लिए कहा हैं। आगे की कार्यवाही आईन्दा की जानी हैं, अतः डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय ममोरी कार्ड को सुरक्षित रखवाया गया। फर्द प्राप्ती डीवीआर मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 02.04.2025 को समय 01.00 पी.एम. पर परिवादी श्री अब्दुल नईम खान ने कार्यालय हाजा में श्रीमती चन्द्र कंवर पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर बताया की मेरी बनवीर सिपाही से फोन पर बात हुई है उसने मुझे आज बुलाया है वह मेरे से आज रिश्वत राशि प्राप्त कर सकता है। परिवादी की रिपोर्ट पर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही श्रीमती चन्द्रकंवर पु0नि0 द्वारा करवाई गई थी पुलिस निरीक्षक के अन्य राजकार्य में व्यस्त होने के कारण श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पु0नि0 द्वारा मन् अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक को कक्ष मे बुलाकर परिवादी से मेरा परिचय करवाया गया एवं प्रकरण में की गई अब तक की कार्यवाही से अवगत करवाकर पत्रावली प्रार्थना पत्र सहित मय डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय रिश्वत मांग सत्यापन में काम लिया गया मेमोरी कार्ड मुझे सुपुर्द किया गया। मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी को अपने कक्ष में लेकर आया परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। तत्पश्चात् परिवादी ने बताया कि मैं बनवीर कानि. की मांग के अनुसार रिश्वत मे दी जाने वाली रकम 10000 रू. लेकर आ गया हूं। बनवीर कानि. मुझसें रिश्वत मांग के समय तीस हजार रू. मांगकर बीस हजार रू. लेने के लिए सहमत हो गया था। आज मेरे पास उसको देने के लिए 10,000 रू. की ही व्यवस्था हो पाई हैं। शेष 10,000 रू. में उसको बाद में देने की कह दूंगा वो मान जायेगा। परिवादी आरोपी को देने के लिए 10,000 रू. की व्यवस्था करके आया हैं अतः आगे की कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा से पूर्व सें पाबन्दशुदा गवाह को कार्यालय हाजा में भिजवाने हेतु जरिये मोबाईल अवगत कराया गया। समय 3.00 पी.एम. पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा से पूर्व सें पाबन्दशुदा गवाह श्री अशोक कुमार गोचर पुत्र श्री रूपचन्द जी जाति गुर्जर उम्र 37 साल निवासी-गांव मंगलपुरा तहसील कनवास जिला कोटा हाल फार्मासिस्ट, कार्यालय- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा मोबाईल नम्बर-[redacted] व श्री दिनेश कुमार वर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल वर्मा, जाति बावरियाँ उम्र 44 साल

निवासी-मकान नं. 158, क्रेशर रोड शिवपुरा, कोटा हाल नर्सिंग ऑफीसर, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा मोबाईल नम्बर- [redacted] कार्यालय हाजा में उपस्थित आये। गवाहान से परिवादी श्री अब्दुल नईम खान का आपसी परिचय करवाया तथा प्रकरण में की गई रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही एवं होने वाली अग्रिम कार्यवाही से अवगत कराया तथा गवाहान को परिवादी का प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तथा कार्यवाही में साथ रहने की सहमती चाही तो उन्होने मौखिक सहमति दी। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 03.15 पी.एम. पर परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर मे उसमें रिकार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो परिवादी व आरोपी बनवीर आचार्य के मध्य दिनांक 30.03.2025 को हुई थी, को कार्यालय के लेपटॉप से श्री रवि कुमार कानि 285 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री बनवीर आचार्य कानिस्टेबल की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता टाईप करवाकर तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये । समय 5.45 पी.एम. पर दोनों सरकारी स्वतंत्र गवाहान श्री अशोक कुमार गोचर व श्री दिनेश कुमार वर्मा के समक्ष परिवादी श्री अब्दुल नईम खान ने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 500-500 रूपये के 20 नोट कुल 10 हजार रूपये निकालकर मन उप पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है- क्र.स. नोट नोट का नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 BW 583474 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 FU 236460 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DB 241555 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DB 241556 5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AQ 037720 6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 BD163379 7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 MM 038051 8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 0 RW 871222 9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 KD 953440 10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 KS 698885 11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 HF 792181 12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 FP 039137 13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 PN 590988 14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 CF 912936 15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 AL 809882 16. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 MF 363812 17. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 TB 822529 18. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 TQ 548450 19. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 AM 202966 20. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 TR 462231 उक्त नोटों पर श्री तवंर सिंह कानि. के द्वारा मालखाने सें फिनॉल्फथीलीन पाउडर की शीशी निकलवाई गई। एक अखबार के ऊपर थोडा सा फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर डलवा कर उपरोक्त सभी नोटों पर फिनॉफ्थीलीन पाउडर भलीभांती लगवाया गया। गवाह अशोक कुमार गोचर सें परिवादी श्री अब्दुल नईम खान की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुये कपडों में मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु इत्यादि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर लगे नोटों को श्री तवंर सिंह कानि. से सीधे ही परिवादी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाये गये। एक डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। इस घोल में श्री तवंर सिंह कानि. के फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अगुंलियों को धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया इस प्रकार फिनॉल्फ्थीलीन व सोडियम कार्बोनेट के आपसी मिश्रण की प्रतिक्रिया को दृष्टांत देकर संबंधितों को समझाया गया। परिवादी को हिदायत की गई की आरोपी व्यक्ति सें हाथ नहीं मिलावे और ना ही पाउडर लगे हुये नोटों को रास्ते में अनावश्क रूप में हाथ लगाये। आरोपी व्यक्ति के मांगने पर ही उक्त पाउडर लगे नोटों को अपनी पेंट की जेब सें निकालकर उसें देवें तथा उसके द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् ट्रेप कार्यवाही के सदस्यों की ओर अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें। इसके बाद गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया। फिनॉल्फ्थीलीन पाउडर की शीशी को जरिये श्री तवंर सिंह कानि. से वापस मालखाने में रखवाई गई। नोटों के पाउडर लगाने में प्रयुक्त अखबार एवं प्लास्टिक के गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। श्री तवंर सिंह कानि. के दोनों हाथों को साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाकर उसको कार्यालय में ही रहने की हिदायत दी गई। कार्यवाही में काम आने वाली कांच की शीशीयों मय ढक्कन को अच्छी तरह साबुन सें धुलवाकर साफ करवाया गया व प्लास्टिक के नये डिस्पोजल गिलास लिये गये। ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साबुन व पानी सें अच्छी तरह धुलवाये गये। दोनों गवाहान को हिदायत दी गई की परिवादी के आस-पास नजदीक रहकर परिवादी एवं आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेनदेन को देखने व वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड देकर उसें चलाने की विधि पुनः समझाई गई तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर परिवादी की पेंट की बांयी जेब में रखवाया गया तथा हिदायत दी गई की आरोपी सें होने वाली वार्ता को वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द दृष्टांत मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06.30 पी.एम. पर परिवादी एवं श्री रवि कुमार कानि 285 को परिवादी की मोटरसाईकील सें आगे रवाना कर मन अनिष अहमद उप पुलिस अधीक्षक प्राईवेट कार से मय दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री अशोक कुमार गोचर व श्री दिनेश कुमार वर्मा व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों, डिजीटल

वॉइस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड, रिश्वत मांग सत्यापन मे काम लिए गये मैमोरी कार्ड सहित व दूसरी प्राईवेट वाहन कार जिसमें श्री नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140, श्री योगेन्द्र कानि 282, श्री योगेश कुमार कानि 291 एवं सरकारी जीप जिसमें श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री लालचन्द कानि 30, श्री आशिक हुसैन सउनि मय चालक श्री महेन्द्र सिहं कानि 507 के दादाबाडी कोटा शहर के लिए रवाना हुये। समय 06.55 पी.एम. पर मन उप पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के सीएडी सर्किल के पास दादाबाडी रोड पर पहुंचे तथा परिवादी श्री अब्दुल नईम खान से जर्ये फोन आरोपी बनवीर आचार्य को वाटसएप कॉल करवाया तो आरोपी ने परिवादी को करीब 7.30 पीएम पर कॉल करके मिलने का स्थान बताने को कहा । चूंकि 7.30 पीएम तक आरोपी के फोन आने तक इंतजार करना था, लिहाजा मन उप पुलिस अधीक्षक मय जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी के आरएसी कार्यालय के पास पहॅुचा एवं पहचान छुपाते हुए आरोपी के फोन के इंतजार में मुकीम हुआ। समय 07.31 पी.एम. पर परिवादी के मोबाईल फोन पर आरोपी बनवीर आचार्य का वाटसएप कॉल आया और आरोपी ने परिवादी को रामधाम मंदिर के पास पुलिया के पास बुलवाया तो परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालु करवाकर आरोपी से रिश्वत लेनदेन एवं वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को उसकी मोटरसाईकिल से आरोपी बनवीर से हुई परिवादी की मोबाईल वार्ता के अनुसार रामधाम मंदिर के पास रवाना किया व रवाना करने से पूर्व परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी द्वारा ग्रहण करने के बाद सर पर दोनों हाथ फिरा कर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ती का इशारा करने की हिदायत की गई एवं श्री रवि कुमार कानि 285 तथा श्री योगेश कुमार कानि 291 को परिवादी के पीछे पीछे निगरानी हेतु रवाना किया एवं मन पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान एवं जाब्ते के अपनी व वाहनो की उपस्थिती छुपाते हुये रामधाम मंदिर के आस पास परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। समय 07.50 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अब्दुल नईम खान ने रामधाम मन्दिर के सामने हनुमान बस्ती रोड, दादाबाडी पर नाले के किनारे खडे हुये ने अपने सिर पर दोनों हाथ फिराकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस, अनिष अहमद दोनो स्वतंत्र गवाह, ट्रेप पार्टी के सदस्य, देशराज, पुलिस निरीक्षक, आशिक हुसैन, स.उ.नि., श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि. 140, श्री, लालचन्द कानि. 30, श्री योगेन्द्र सिंह 282, श्री रवि कानि. 285 श्री योगेश गोचर कानि. 291, महेन्द्र सिंह चालक मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व वस्तुओं के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे, इस पर परिवादी के पास खडे हुये दोनो व्यक्तियो में से एक व्यक्ति जिसने नीले रंग की काली धारी वाली टी-शर्ट पहन रखी थी ने अपनी पेंट की जेब मे से रूपये निकालकर नाले में फेंक दिये तथा भागने का प्रयास किया जिनको जाब्ते की मदद से डिटेन किया गया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने योगेन्द्र कानि. को मोबाईल से कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये तथा परिवादी से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। जाब्ते व स्वतंत्र गवाहान की मदद से बमुश्किल बहते हुये पानी में से पांच-पांच सौ रू. के 15 नोटों को एकत्रित करवाया तथा रात्री होने की वजह सें मोबाईल की लाईटों सें करीबन 20 मिनट तक अन्य पांच नोटों को तलाश करवाया उक्त नाले में करीबन 10 फीट एवं 40 फीट के बाद अलग-अलग दो नाले ओर मिलकर पानी की आवक ज्यादा होने सें अन्य पांच नोटों को बरामद नहीं किया जा सका। नाले में मिले पांच-पांच सौ रू. के 15 नोटों को स्वतंत्र गवाह अशोक कुमार गोचर के पास सुरक्षित रखवाये गये उक्त कार्यवाही के दौरान कोलोनी एंव अन्य राहगीर वंहा पर जमा हो गये थे तथा रात्री का समय होने तथा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण परिवादी के बताये व्यक्तियों श्री बनवीर एवं मनीष जांगीड कानि. को अपने हाथों को यथा स्थिति में रखने कि हिदायत कर प्राईवेट वाहन कार में मय जाब्ते की निगरानी में बैठाया तथा योगेश कानि. से मोबाईल की रिकॉर्डिंग बन्द करवाई तथा एसीबी चौकी कोटा देहात पर चलने पर अग्रिम कार्यवाही की विडियो रिकॉर्डिंग के आदेश देकर दोनो आरोपी एवं जाब्ते के कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात सी.ए.डी. सर्कील कोटा के लिये रवाना होकर कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो, चौकी कोटा देहात पहुंचे जंहा परिसर में दोनो आरोपी को अपना व हमराहियान का परिचय दिया तथा उनसें उनका नाम पता पूछा तो उन्होने अपना नाम क्रमश बनवीर आचार्य पुत्र श्री राधकिशन जाति आचार्य उम्र 35 साल निवासी- राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम धांधोली थाना दूदू जिला जयपुर हाल कानि. 1452 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर तथा मनीष कुमार जांगीड पुत्र श्री महिपाल जाति खाती उम्र 28 साल निवासी- घरडाना खुर्द थाना सिंघाना जिला झुंझुनु हाल कानि. 2197 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर बताया उक्त दोनों व्यक्तियों से मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री अब्दुल नईम सें ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो बनवीर कानि. ने बताया कि मैने इससे कोई रू. नहीं लिये तथा फिर बताया कि इसने जबरदस्ती मुझसें हाथ मिलाकर दे दिये इसके बाद मनीष जांगीड से पूछा तो बताया मुझे कुछ पता नहीं हैं मैं तो इसके बनवीर के साथ आया था। दोनों आरोपीगण द्वारा दिये गये जवाब को सुनकर परिवादी अब्दुल नईम खान ने बताया कि मेरे बच्चों के विरूद्ध दादाबाडी थाने में एक प्रकरण दर्ज हुआ हैं जिसमें मेरे बच्चों के साथ मारपीट नहीं करने व मदद करने की एवज में इन्होने मुझसे 10,000 रू. लिये हैं, इस पर आरोपीगणो से पूछा तो दोनो चुप रहे तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालय के अन्दर बने एक कमरे में आरोपीगण की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। परिवादी के कहेनुसार आरोपी बनवीर आचार्य ने रिश्वती राशि 10,000 रूपये अपने दाहिनी हाथ सें प्राप्त कर अपनी पेंट की दाहिनी जेब में रखे तथा एसीबी जाब्ते को देखकर अपने हाथ सें निकाल कर पास स्थित बहते हुये नाले में फेंके थे जिनमें सें आपकी टीम ने 15 नोटों को बरामद कर लिया हैं और पांच

नोट बरामद नही हो सके। अतः आरोपी श्री बनवीर आचार्य कानि. की हाथ धुलाई की कार्यवाही प्रारम्भ की, कार्यालय में रखी हुई पीने के पानी की बोतल सें पानी लेकर दो डिस्पोजल गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी बनवीर आचार्य के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH1व RH2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH1व LH2 अंकित किया। तत्पश्चात बनवीर आचार्य को एक तौलिया लाकर दिया तथा पेंट को उतरवाकर पेंट की तलाशी लिवाई गई तो पेंट की पीछे की जेब में पांच-पांच सौ रू. के 30 नोट कुल 15000 रू. तथा एक मोबाईल वीवो कम्पनी का मिला जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया। तत्पश्चात पेंट की आगे की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाने हेतु पीने के पानी की बोतल सें पानी लेकर एक डिस्पोजल गिलास में पानी डलवाकर गिलास में एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी बनवीर आचार्य की पेंट की दाहिनी जेब को उलटवाकर गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क P1 व P2 अंकित किया तथा पेंट की जेब को सुखाकर पेंट को एक सफैद कपडे की थैली में रखवाकर मार्क P अंकित कर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात नाले सें बरामद नोटों, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार गोचर के पास सुरक्षित रखवया गया था सें लेकर नोटों को स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार वर्मा सें गिनवाया गया तो वो पांच-पांच सौ रूपये के 15 नोट कुल 7500 रूपये थे। उक्त नोटों के नम्बरों का मिलान फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो फर्द में अंकित 20 नोटों में से 15 नोटों के नम्बरो सें हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं- क्र0स0 नोटों का प्रकार नोटों के नम्बर 1. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 6 BW 583474 2. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 2 FU 236460 3. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 DB 241555 4. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 AQ 037720 5. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 BD163379 6. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 3 MM 038051 7. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 FP 039137 8. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 1 PN 590988 9. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 CF 912936 10. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 AL 809882 11. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 7 MF 363812 12. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 8 TB 822529 13. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 5 TQ 548450 14. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 4 AM 202966 15. पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट 9 TR 462231 उक्त नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये थे। तत्पष्चात श्री योगेश कानि. सें मोबाईल की रिकॉर्डिंग बन्द करवाई गई। मोबाईल में रिकॉर्डिंग के लिए लगाये गये मेमोरी कार्ड को परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष पृथक सें जब्त कर सिलचिट किया गया। तत्पश्चात आरोपीगण से परिवादी के पुत्रों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण के संबंध में पूछा तो बताया कि इसके पुत्रों के विरूद्ध थाना दादाबाडी में प्रकरण दर्ज हो रखा हैं जिसका अनुसंधान रमेशचन्द मीणा उ.नि. कर रहे हैं पत्रावली उनके पास हैं। परिवादी सें प्राप्त किये गये डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को लेपटॉप में लगाकर चालु कर आज लेनदेन के समय हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो वार्ता में परिवादी अब्दुल नईम खान ने बनवीर कानि. सें कहा कि आपने तो कहा था कि इशान का नाम नहीं हैं एफ.आई. आर. में उसका भी नाम आ गया इस पर बनवीर ने कहा कि मैने उनका नाम निकालने की बात नहीं कि थी मैने उनके साथ मारपीट नहीं करने के लिए कहा था फिर परिवादी द्वारा 10,000 रू. दिये जाने पर बनवीर ने कहा कि ये क्या हैं जिस पर परिवादी ने कहा कि अभी तो दस हजार रू. हैं तथा बाकी के दस हजार मैं अफसर के खाते में डाल दूंगा आप उससे ले लेना इसके बाद बनवीर ने कहा कि मैने आपको उन्नीस बीस कम करने के लिए कहा था बीस हजार के लिए नहीं इस पर परिवादी ने कहा कि कितने की बात करी आपने तो बनवीर ने कहा कि पच्चीस हजार रू. इस पर परिवादी ने कहा कि अरे मालिक उनका नाम थोडी ना निकाल रहे हो, तब बनवीर ने कहा कि नाम भी निकलवायेंगे तुम्हारे वो तो यूं मान लो पूरी तीन सौ सात ही हट रही हैं पूरी उसपे तब परिवादी ने कहा कि नाम निकल जाये तो मैं तीस भी कर दूं तब मनीष जांगीड ने कहा अरे नाम निकलने में तीस की, पांच हजार मैं ही निकल जायेंगे क्या नाम तब बनवीर ने कहा कि नाम भी निकल जायेंगे फिर मनीष ने कहा कि तीन सौ सात का मामला जानते हो तुम तब परिवादी ने कहा चलो ये भी कर दूंगा पांच ओर तब मनीष जांगीड ने कहा कि एक साथ ही कर देना, इतने कम पैसे हम सी.आई.साहब को भी नहीं दे सकते पूरे आने के बाद ही देंगे तब परिवादी ने किसी को फोन करके उनके खाते में पैसे डालने का आश्वासन बनवीर व मनीष जांगीड को दिया तब दोनों ने कहा कि पहले इशान को लाओगे कि फरान को इत्यादि वार्ता हुई है। उपरोक्त वार्ता परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट व रिश्वत मांग सत्यापन सें स्पष्ट हैं कि परिवादी के पुत्रों के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी के पुत्रों से मारपीट नहीं करने तथा उनकी मदद करने की एवज में सी.आई.साहब के नाम सें 30,000 रू. की मांग बनवीर आचार्य द्वारा की गई तथा दौराने लेनदेन वार्ता में

आरोपी बनवीर आचार्य एंव मनीष जांगीड ने आरोपी के पुत्रों के साथ मारपीट नहीं करने तथा सी.आई.साहब सें कहकर नाम निकलवाने की कहकर रिश्वत राशि 10,000 रू. प्राप्त किये तथा परिवादी द्वारा 15000 रू. बाद में देने की कहने तथा परिवादी द्वारा शेष रिश्वत की राशि अन्य मिलने वालों सें कुछ समय बाद 15000 रू. दिलवाने की कहने पर आश्वस्त होने सें रिश्वत लेने में दोनों की आपसी मिलीभगत पाई गई है। आरोपीगण की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री अशोक कुमार गोचर सें लिवाई गई तो मनीष जांगीड के पास एक मोबाईल मोटोरोला EDGE 50 Fusion imei No.1- [redacted] Sim No. [redacted] imei No.2- [redacted] Sim No. [redacted] तथा पेंट की जेब सें 1220 रू मिले तथा बनवीर आचार्य कानि.की पेंट की तलाशी में मिले मोबाईल Vivo Y 20G imei slot No.1- [redacted] Sim No. [redacted] imei No.2- Slot No.2- [redacted] Sim No. [redacted] तथा 15000 रू.मिले। दोनों आरोपीगण के मोबाईल सें परिवादी के मोबाईल पर वार्तायें हुई हैं अतः उक्त दोनों के मोबाईल एवं श्री बनवीर की पेंट की जेब में मिले 15000 रू. के संबंध में बनवीर कानि. द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं देने सें 15000 रू. एवं दोनों मोबाईल को वजह सबूत अनशील्ड कब्जा एसीबी लिया गया। श्री मनीष जांगीड के पास मिले 1220 रू. के बारे में संतोष जनक जवाब देने सें 1220 रू. को लौटाये जायेंगे। समय 11.15 पी.एम. पर आरोपी श्री बनवीर आचार्य व परिवादी श्री अब्दुल नईम खान के मध्य दिनांक 30.03.2025 को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं श्री अब्दुल नईम खान व आरोपी श्री बनवीर आचार्य व श्री मनीष कुमार जांगिड के मध्य दिनांक 02.04.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमूना देने हेतु आरोपी बनवीर आचार्य को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने नोटिस को पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री अब्दुल नईम खान व आरोपी श्री बनवीर आचार्य व श्री मनीष कुमार जांगिड के मध्य दिनांक 02.04.2025 को हुई रिश्वत राशि लेन देन वार्ता में रिकॉर्ड आवाज का एफ.एस.एल. जयपुर से परीक्षण करवाने हेतु आवाज का नमूना देने हेतु आरोपी मनीष कुमार जांगिड को नोटिस दिया गया तो आरोपी ने नोटिस को पढकर उस पर अपने स्वयं के हस्तलेख से लिखकर दिया कि "मैं मेरी आवाज का परीक्षण कराने हेतु नमूना आवाज स्वेच्छा से नही देना चाहता हूं"। नोटिस नमुना आवाज पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी व दोनों गवाहान के समक्ष कार्यालय के सरकारी डिजीटल वॉईस रिकार्डर में रिकार्ड रिश्वत लेनदेन वार्ता जो परिवादी तथा आरोपी बनवीर आचार्य व मनीष कुमार जांगीड के मध्य दिनांक 02.04.2025 को हुई है, को कार्यालय के लेपटॉप में श्री रवि कुमार कानि 285 के द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कनेक्ट कर स्पीकर चालू कर वार्ता को परिवादी व दोनों गवाहान को सुनाया जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई गई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता मे से परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री बनवीर आचार्य की तथा तीसरी आवाज आरोपी मनीष कुमार जांगीड की होना पहचान की। फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्ता हुबहु तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 03.04.2025 को समय 12.45 ए.एम. पर आरोपी बनवीर आचार्य पुत्र श्री राधकिशन जाति आचार्य उम्र 35 साल निवासी- राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम धांधोली थाना दूदू जिला जयपुर हाल कानि. 1452 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी बनवीर आचार्य को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी की गिरफतारी की सूचना उसके कहे अनुसार उसके मित्र जीतराम कानिस्टेबल थाना दादाबाडी को दी गई। समय 01.00 ए.एम. पर आरोपी मनीष कुमार जांगीड पुत्र श्री महिपाल जाति खाती उम्र 28 साल निवासी- घरडाना खुर्द थाना सिंघाना जिला झुंझुनु हाल कानि. 2197 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर का उक्त कृत्य धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं धारा 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से आरोपी को गिरफ्तारी के कारणों एवं संवैधानिक अधिकारों से अवगत कराते हुए नियमानुसार जर्ये फर्द गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। फर्द गिरफ्तारी नियमानुसार तैयार की जाकर संबंधितों को पढ़कर सुनाई, सुन समझ सही मानकर हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी की गिरफतारी की सूचना उसके कहे अनुसार उसके मित्र जीतराम कानिस्टेबल थाना दादाबाडी को दी गई। समय 03.57 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव परिवादी के समक्ष दिनांक 30.03.2025 को परिवादी श्री अब्दुल नईम खान एंव आरोपी श्री बनवीर आचार्य कानिस्टेबल के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता जो डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड KDM 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उपरोक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 250330_2105 हैं तथा दिनांक 02.04.2025 को परिवादी श्री अब्दुल नईम खान एंव आरोपीगण श्री बनवीर आचार्य कानिस्टेबल व श्री मनीष कुमार जांगिड, कानिस्टेबल के मध्य हुई वक्त रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता जिसें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में रिकॉर्ड किया गया था, उक्त वार्ता की मेमोरी कार्ड में एक फाईल 250402_1935

हैं। उपरोक्त दोनों वार्ताओं को श्री रवि कानि. 285 के द्वारा डिजीटल वाईस रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से कॉपी कर लेपटोप मे लिवाया जाकर उक्त वार्ताओ को KDM SPEED PRO USB FLASH DRIVE 32 GB कंपनी के पेन ड्राईवों में डालकर चार पेन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमे से एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय के लिये, व दो पेन ड्राईव आरोपियों के लिये पृथक-पृथक कपडे की थैली मे रखकर सील्ड मोहर की गई तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाये गये पृथक पृथक दोनों मूल मेमोरी कार्ड KDM 32 GB micro SDHC-1 एवं Sandisk 32 GB micro SDHC-1 को मेमोरी कार्डो के कवर में रखकर, दोनों मेमोरी कार्ड को कवर सहित कपडे की थेलियों में रखाकर पृथक पृथक सील्ड मोहर कर थैलियों पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया। उक्त वार्ताओं की रिकार्डिंग की फाईलों की हैश वैल्यू निकाल कर पृथक से शामिल पत्रावली की गई। समय 04.45 ए.एम. पर दोनों स्वतंत्र गवाहान एंव परिवादी के समक्ष दिनांक 02.04.2025 को आरोपी श्री बनवीर आचार्य कानिस्टेबल व श्री मनीष कुमार जांगिड, कानिस्टेबल के विरूद्ध की गई ट्रेप कार्यवाही के दौरान उनसे जप्त की गई राशि, हाथ धुलाई एवं जप्ती आदि की कार्यवाही की वीडियो रिकार्डिंग श्री योगेश कुमार कानि 291 के मोबाईल फोन में लगे हुये मैमोरी कार्ड Sandisk32 GB micro SDHC-1 में श्री योगेश कानि से करवाई गई थी। उक्त मैमोरी कार्ड को श्री रवि कानि. 285 के द्वारा लेपटोप पर डिजिटल वॉईस रिकार्डर से कनेक्ट करवाकर मेमेारी कार्ड में रिकॉर्ड विडियो रिकॉर्डिंग की कुल 5 फाईलों (VID20250402195149, VID20250402195240, VID20250402201234, VID20250402205136, VID20250402214503) को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाया गया एवं पांचों फाईलों को कॉपी पेस्ट कर Sandisk Cruzer Blade 32 GB के 3 पेन ड्राईवों में डाला जाकर दो पेन ड्राईव आरोपियों के लिए एवं एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए तैयार किए गए। आरोपियों के लिए तैयार किये गए दो पेन ड्राईवों को एवं माननीय न्यायालय के लिए मूल मैमोरी कार्ड को उनके कवर में रखकर एक कपडे की थैली में रख कर शील्ड मोहर किया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाए गए तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये लिफाफे मे रखकर शामिल पत्रावली किया गया फर्द डबिंग व जब्ती पेन ड्राईव व मेमोरी कार्ड पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। उक्त वार्ताओं की रिकार्डिंग की फाईलों की हैश वैल्यू निकाल कर पृथक से शामिल पत्रावली की गई। समय 07.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी मय स्वतंत्र गवाहन श्री अशोक कुमार गोचर व श्री दिनेश कुमार वर्मा मय श्री रवि कुमार कानि 285, नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140, श्री योगेन्द्र कानि 282, श्री योगेश कुमार कानि 291, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री लालचन्द कानि 30, श्री आशिक हुसैन सउनि मय चालक श्री महेन्द्र सिहं कानि 507 मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री बनवीर आचार्य एवं मनीष कुमार जांगीड के प्राईवेट वाहन दो कार एक मोटरसाईकील व एक सरकारी जीप व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व जब्तशुदा धोवन व रिश्वत राशि सहित प्रकरण के घटनास्थल का नक्शा मौका बनाने हेतु मय अनुसंधान बॉक्स के प्राईवेट कार से रवाना हुआ। समय 07.15 ए.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक घटनास्थल पर पहुंचा एवं परिवादी की निशादेही पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका कसीद किया जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 08.15 ए.एम. पर बाद नक्शा मौके की कार्यवाही मन उप अधीक्षक पुलिस स्वतंत्र गवाहन श्री अशोक कुमार गोचर व श्री दिनेश कुमार वर्मा मय श्री रवि कुमार कानि 285, नरेन्द्र सिंह है.कानि. 140, श्री योगेन्द्र कानि 282, श्री योगेश कुमार कानि 291, श्री देशराज पुलिस निरीक्षक, श्री लालचन्द कानि 30, श्री आशिक हुसैन सउनि मय चालक श्री महेन्द्र सिहं कानि 507 मय गिरफतारशुदा आरोपी श्री बनवीर आचार्य एवं मनीष कुमार जांगीड के प्राईवेट वाहन दो कार एक मोटरसाईकील व एक सरकारी जीप व ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों व जब्तशुदा धोवन व रिश्वत राशि सहित एसीबी चौकी कोटा के लिए रवाना हुआ एवं परिवादी को मौके से ही उसके निवास के लिए सकुशल रूखसत किया गया। दिनांक 03.04.2025 समय 10.00 ए. एम. पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय रवानाशुदा जाप्ता मय आर्टीकल्स मय ट्रेप सामग्री के चौकी हाजा आया हालात इस प्रकार रहे कि बाद ट्रेप कार्यवाही व मौके की कार्यवाही कर रवाना होकर मय आरोपीगण बनवीर आचार्य कानिस्टेबल व मनीष जांगीड कानिस्टेबल थाना दादाबाडी के एम.बी.एस.एच कोटा पहुंचा। जहां आरोपीगण का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। बाद स्वास्थ्य परीक्षण थाना नयापुरा जिला कोटा शहर पहुंचा जहां आरोपीगण को सुरक्षित बन्द हवालात कर वापस कार्यालय आया जब्तशुदा आर्टिल्स मालखाना प्रभारी श्री आशिक हुसैन को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। स्वतंत्र गवाहान को सकुशल रूकसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया हैं कि परिवादी श्री अब्दुल नईम खान के पुत्रों के विरूद्ध थाना दादाबाडी में दर्ज प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात मारपीट नहीं करने तथा दूसरे पुत्र इशान का नाम निकलवाने के लिए सी.आई.साहब सें बात कर मदद करने की एवज में 30,000 रू. की मांग की जा रही थी तथा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन आरोपी बनवीर आचार्य द्वारा सी.आई., मनीष कानिस्टेबल एवं स्वयं के लिए 30,000 रू. की मांग की गई तथा परिवादी द्वारा विनय करने पर थोडा बहुत कम ज्यादा के संबंध में सी.आई. साहब सें बात करके बताने के लिए कहने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही के समय परिवादी से 10,000 रू. प्राप्त करने तथा शेष 15000 रू. के लिए परिवादी द्वारा अन्य व्यक्ति से दिलवाने का आश्वासन देने पर सहमत होने, ट्रेप टीम को देखकर रिश्वत राशि पास स्थित बहते हुय नाले में फेंकने तथा रिश्वत राशि के पांच-पांच सौ रू. के 20 नोटों में सें 15 नोट बहते हुए नाले सें बरामद होने, रिश्वत राशि 10,000 रूपये

बनवीर कानि. द्वारा अपने हाथ सें प्राप्त करने, बनवीर कानि. के दाहिने हाथ धुलाई का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ व बायें हाथ का रंग मटमैला आने तथा पेंट की दाहिनी जेब के धोवन का रंग हल्का गुलाबी झांयी देता हुआ आने तथा दौराने लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता -आरोपी मनीष जांगीड कह रहा है कि आप मेरी बात सुनों एक साथ ही कर देना। तुम्हारे पास पडे है हमारे पास पडे है ये चीज आगे जाकर हम सीआई को दे नही सकते है। आप भी जानते हो वो तो पूरा आयेगा पूरा ही देना पडेगा। रिश्वत लेनदेन वार्ता में परिवादी शेष रिश्वत राशि ऑनलाईन पेमेण्ट कहने की कहता है तो आरोपी मनीष कहता है अरे ऑनलाईन थोडी अत रिश्वत राशि लेनदेन में बनवीर आचार्य तथा मनीष जांगीड की पूर्ण सहमति होने से दोनों आरोपीगण की रिश्वत प्राप्त करने में आपसी मिलीभगत स्पष्ट होती है। अतः आरोपीगण का उक्त कृत्य धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध प्रमाणित पाया जाने से 1.बनवीर आचार्य पुत्र श्री राधकिशन जाति आचार्य उम्र 35 साल निवासी- राजपूतों का मोहल्ला, ग्राम धांधोली थाना दूदू जिला जयपुर हाल कानि. 1452 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर तथा 2.मनीष कुमार जांगीड पुत्र श्री महिपाल जाति खाती उम्र 28 साल निवासी- घरडाना खुर्द थाना सिघाना जिला झुंझुनु हाल कानि. 2197 थाना दादाबाडी जिला कोटा शहर के विरूद्ध सम्पूर्ण कार्यवाही की बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु सादर प्रेषित है। (अनिष अहमद) उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2018) एंव 61(2) भारतीय न्याय संहिता 2023 में ब के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जगराम मीना ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 67 पर अंकित है।(डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 489-92 दिनांक 4-04-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर 4-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** JAGRAM MEENA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 04/04/2025 21:

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	01/07/1989				
2	Male	30/01/1996				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)